

संभावित अनुपूरक प्रश्न हेतु सामग्री

1) सीमेंट का क्रय :

पंचायतों के लिए सीमेंट का क्रय विभाग द्वारा जारी पत्र, दिनांक की 19 मार्च, 2010 की अनुपालना में, हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से क्रय किया जा रहा है ।

2) पंचायतों में PAVER BLOCKS और टाइल्स की आपूर्ति:

पंचायतों में PAVER BLOCKS और टाइल्स की आपूर्ति के लिए, एजेंसी की एम्पनेल्मेंट हेतु, विभाग द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को पत्र जारी किया गया है ।

3) मनरेगा कार्यों में, निर्माण सामग्री का क्रय :

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत, मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए जा रहे विकास कार्यों में, निर्माण सामग्री का क्रय, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 67 के अनुसार किया जाता है जिसका उल्लेख मूल प्रश्न के उत्तर में किया गया है ।